CNR No,–UPGK010050092026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट), गोरखपुर।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–571/2026

विनय कुमार ---- बनाम ----- जितेन्द्र यादव वगैरह

निस्तारण प्रार्थना पत्र, अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

दिनांक 05.09.2026

1– पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र, अंतर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर आदेश हेतु नियत है। पूर्व नियत तिथि को प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा– 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर सुना जा चुका है।

2– आवेदक विनय कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 03क इस कथन के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थी/परिवादी विनय कुमार पुत्र वीरेन्द्र ग्राम– प्रतापपुर, पोस्ट–सिहोरवा, थाना– चिलुआताल, जनपद– गोरखपुर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी अनुसूचित जाति (बेल्दार) का है। प्रार्थी के घर दिनांक 18.04.2026 को अचानक आवश्यक कार्य शाम 04.00 बजे पड़ जाने के प्रार्थी को शहर गोरखपुर जाने की आवश्यकता पड़ी। प्रार्थी को समय से साधन नही मिलने के कारण प्रार्थी ने अपने पहचान के सर्वजीत चौरसिया पुत्र राजेन्द्र चौरसिया निवासी– ग्राम व पोस्ट–मीरपुर, थाना– चिलुआताल, जनपद– गोरखपुर जो कि प्रार्थी के गांव के बगल के ही हैं से फोन करके मोटर साईकिल मांगा तो वे प्रार्थी को मोटर साईकिल देने के लिए तैयार हो गये और कहे कि मैं घर पर नहीं हूँ मेरे घर पर मोटर साईकिल है जाकर ले लीजिए प्रार्थी उक्त सर्वजीत चौरसिया के घर उनकी मोटर साईकिल लेने लगभग सायं 4.30 बजे पहुंचा और उनकी मोटर साईकिल लेकर जैसे ही उनके घर से निकला तथा उसका बागीचा के पास पहुंचा तो अचानक जितेन्द्र यादव, नागेन्द्र यादव पुत्रगण जंगबहादुर यादव, दीपक यादव पुत्र विजय बहादुर यादव, निवासीगण ग्राम व पोस्ट–मीरपुर, थाना– चिलुआताल, जिला– गोरखपुर ने प्रार्थी को घेर लिये और कहे कि साले बेल्दारिया की जाति तुम सर्वजीत के घर क्यों आये थे तो प्रार्थी ने कहा कि मैं अपनी आवश्यकता के लिए मोटर साईकिल लेने गया था तो उपरोक्त लोग प्रार्थी के इतना कहते हि प्रार्थी को पकड़कर मोटर साईकिल से नीचे गिरा दिये और सभी लोग मिलकर लात–मुक्का से मारने पीटने लगे तथा कहने लगे कि चमारिया बेल्दारिया साले फैशन बनाकर मेरे दुश्मन की मोटर साईकिल से घुमोगे और इधर दिख गये तो तुम्हारी हत्या कर देंगे और मोटर साईकिल छिन लिये। मौके पर तमाम लोग इकट्ठा हो गये और घटना को देखे तथा बीच बचाव किये तब प्रार्थी की जान बची। प्रार्थी ने घटना की सूचना तत्काल दिनांक 18.04.2026 को ही थाना स्थानीय पर जाकर दिया तो थाने की पुलिस द्वारा प्रार्थी को थाने पर बैठा लिया गया और

उपरोक्त लोगों को थाने पर बुलाया गया और थाने की पुलिस द्वारा उक्त लोगों के प्रभाव में आकर उनसे मोटर साईकिल लेकर उक्त लोगों को छोड़ दिये तथा प्रार्थी का ही चालान जरिए धारा–126,170.135 बी०एन०एस० में कर दी। जिससे प्रार्थी को काफी हैरानी व परेशानी हुई। प्रार्थी के पीड़ित व बेगुनाह होने के बावजूद भी प्रार्थी को थाना स्थानीय द्वारा न तो रपट दर्ज किया गया और न ही थाना से कोई न्याय मिला बल्कि उल्टे ही प्रार्थी के खिलाफ कार्यवाही किया गया। प्रार्थी अपनी रपट दर्ज कराने हेतु लगातार चाना स्थानीय पर जाता रहा किन्तु थाना स्थानीय द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया। थाना द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया तथा थाना पर दौड़ाया जाता रहा। प्रार्थी का मुकदमा दर्ज न होने पर प्रार्थी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर को जरिए रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना दिनांक 24.04.2026 को दिया फिर भी आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुआ। प्रार्थी ने बार–बार प्रार्थना पत्र देने पर थी। थाना–स्थानीय की पुलिस जाँच के नाम पर प्रार्थी को गुमराह कर केस दर्ज करने से बचती रही तब जाकर प्रार्थी माननीय न्यायालय की शरण में आया है। प्रार्थी परिवाद दाखिल कर मुकदमा लड़ पाने में असमर्थ है क्योंकि प्रार्थी काफी असहाय व्यक्ति है। मुल्जिमान का कृत्य संज्ञेय अपराध के कृत्य से बखूबी आयत होता है जिसमे माननीय न्यायालय का हस्तक्षेप न्यायहित में जरुरी है। इस तरह गंभीर संज्ञेय अपराध की समुचित सूचना के एक लम्बे समय बाद भी अभियोग दर्ज न होने पर माननीय न्यायालय के समक्ष अनुरोध युक्त अर्जी दाखिल कर रहा है। अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में रपट दर्ज करने व दोषियों पर यथोचित वैधानिक कार्यवाही करने हेतु आदेश मुकामी थाना– चिलुआताल, जिला– गोरखपुर को दिये जाने की कृपा करें।

3– इस आवेदन पत्र में उल्लिखित कथनों के सम्बन्ध में थाना चिलुआताल से आख्या आहूत की गयी। थाना चिलुआताल की आख्या में यह उल्लिखित है कि थाना स्थानीय ले प्रात भाननीय न्यायालय से निर्गत प्रार्थना पत्र अंतर्गत 173(4) बीएनएस के क्रम के आवेदक विनय कुमार पुत्र उम्र करीब 31 वर्ष पुन वीरेंद्र निवासी ग्राम प्रतापपुर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के परिप्रेक्ष्य में थाना स्थानीय के अभिलेखों का परीक्षण किया है, यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र में वर्णित घटना के संबंध में थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर कर कोई अभियोग/प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पंजीकृत नहीं है।

4– सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया गया।

5– आवेदक विनय कुमार के द्वारा सर्वजीत चौरसिया के घर मोटरसाइकिल लेने गया वहां पर शाम 04.30 बजे पहुंचा तो जैसे ही मोटरसाइकिल लेकर निकला तो विपक्षी जितेन्द्र यादव, नागेन्द्र यादव, दीपक यादव ने उसे घेर लिया और साले बेलदारिया की जाति सूचक शब्दों से अपमानित किये और कहे कि सर्वजीत के घर क्यों आये और गाली गलौज किये एवं लात मुक्का से मारे पीटे। आवेदक के द्वारा इसकी सूचना थाना व पुलिस अधीक्षक गोरखपुर को दिया किन्तु कोई कार्यवाही न होने पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। थाना की आख्या के अनुसार आवेदन पत्र में उल्लिखित तथ्यों के बावत अभियोग पंजीकृत नहीं है।

6– सुना, आवेदन पत्र में वर्णित कथनों के आलोक में पुलिस द्वारा की गयी जांच में विनय शंकर, सर्वजीत व जितेन्द्र के विरूद्ध धारा–126(2), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 के तहत चालानी कार्यवाही की गयी। जिसकी प्रति प्रस्तुत की गयी। जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपनिरीक्षक आकाश जायसवाल जो मुकदमा सं0–263/2026 धारा–126(2), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 की विवेचना के क्रम में वादी मुकदमा राजेन्द्र के घर गया था और वहां पर मौके पर विनय कुमार, व सर्वजीत आये। जितेन्द्र ने मुकदमा लिखाने की बात को लेकर तू–तू मैं–मैं करने लगे तथा मना करने पर नहीं माने। इसलिए दोनो लोगों को विवाद से बचाने के लिए चालान किया गया। इससे स्पष्ट है कि आवेदक सर्वजीत के घर जाकर उसके विरूद्ध पंजीकृत अभियोग के सम्बन्ध में वादी के साथ विवाद करने का उल्लेख है। ऐसी स्थिति में मुकदमा पंजीकृत कराकर विवेचना कराया जाना परिलक्षित नहीं होता है एवं प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों की जानकारी आवेदक को स्वयं है तथा वह सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में सक्षम है। अतः यह प्रार्थना पत्र स्वीकार कर परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक विनय कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस. एस. परिवाद के रूप में दर्ज हो। पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अंतर्गत धारा–200 द०प्र०सं० (223 BNSS) दिनांक–28.09.2026 को पेश हो।

दिनांक–05.09.2026

(चन्द्र मणि मिश्र)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.एक्ट),
गोरखपुर।
JO Code – UP 6250

Digitally signed by CHANDRA MANI MISHRA
Date: 2026.09.05 16:50:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court